# राजस्थान सरकार
## नगरीय विकास विभाग

क्रमांक–प.2(17)नविवि/बीकानेर/2019 जयपुर, दिनांकः– 1 APR 2022

## अधिसूचना

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 (राजस्थान अधिनियम संख्या–35 सन 1959) की धारा–32 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि नगर विकास न्यास बीकानेर के प्रस्ताव अनुसार राजस्व ग्राम शिवबाड़ी के भिन्न–भिन्न खसरों में कुल तादादी 506 हैक्टेयर पर प्रस्तावित गोपालक योजना विकसित करने का निर्णय लिया गया है। बीकानेर मास्टर प्लान 2023 अनुसार भूमि परिधि नियंत्रण पट्टी प्रयोजनार्थ प्रावधानित है। इस योजना की सीमायें निम्नानुसार है :–

पूर्व– सीमा ग्राम हिम्मतासर व शेष भूमि ग्राम शिवबाड़ी

पश्चिम– सीमा ग्राम जोड़बीड़ व शेष भूमि ग्राम शिवबाड़ी

उत्तर– सीमा ग्राम नैणों का बास

दक्षिण– सड़क बीकानेर नापासर 100 फीट मास्टर प्लान अनुसार व ग्रान सीमा गाढ़वाला

उपरोक्त योजना का अनुमानित क्षेत्रफल 506 हैक्टेयर है। योजना का विवरण और मानचित्र नगर विकास न्यास, बीकानेर के कार्यालय में उपलब्ध है। जिसको किसी भी कार्य दिवस में सायंकाल 3:00 बजे से 5:00 बजे तक देखा जा सकता है।

उक्त योजना राजस्थान राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 6 माह तक प्रभावशील रहेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से

संयुक्त शासन सचिव–द्वितीय

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. अध्यक्ष, नगर विकास न्यास, बीकानेर।
2. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान जयपुर।
3. सचिव, नगर विकास न्यास, बीकानेर।
4. वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर जोन, बीकानेर।
5. उप विधि परामर्शी, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
6. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को अधिसूचना राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक.................................में प्रकाशित कराये जाने बाबत् आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. रक्षित पत्रावली।

31/3/2022

संयुक्त शासन सचिव–द्वितीय